ए.

मेसर्स डी. जे. मालपानी

बनाम

केंद्रीय आयोग के आयुक्त, नासिक (2005 की सिविल अपील संख्या 5282)

बी.

अप्रैल 09,2019

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** दीपाक गुप्ता और वाइन सरन**,** जे**.** जे**.]**

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:एस. 4-आकलन योग्य मूल्य-धर्मदा, एक धर्मार्थ दान-आकलन योग्य मूल्य में समावेश-आयोजितःजब किसी राशि का भुगतान माल की बिक्री मूल्य के साथ धर्मदा के रूप में किया जाता है, तो ऐसा भुगतान माल के हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाता है-ऐसा भुगतान दान के लिए होता है और विक्रेता द्वारा प्राप्त किया जाता है और विश्वास में रखा जाता है-यदि ऐसी राशि दान में जमा करने के लिए होती है और निर्धारिती की आय का हिस्सा नहीं होती है, तो उन्हें लेनदेन मूल्य या माल के आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है-तत्काल मामले में, अपीलार्थी द्वारा एकत्र किया गया धर्मदा खरीदार द्वारा किया गया एक वैकल्पिक भुगतान था-इसलिए, इसे माल की बिक्री के लिए लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता है-माल की बिक्री अधिनियम, 1930-केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (मूल्य और निकालने योग्य वस्तुओं का निर्धारण), नियम 2000 -आर. 6.

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि हालांकि बिक्री मूल्य के साथ भुगतान किया गया था**,** धर्मदा के लिए भुगतान खरीदारों द्वारा स्वेच्छा से किया गया था और रसीद पर दान में दिया गया था।चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाण पत्र थे जिनसे पता चलता था कि धर्मदा संग्रह को एक अलग खाते में जमा किया गया था और कारण बताओ नोटिस की अवधि के दौरान एक ट्रस्ट को दान किया गया था।**[**पैरा **9] [930-**ई**]**

एफ.

1.2 बिक्री और खरीद को धारा **2 (**एच**)** द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के कब्जे का कोई हस्तांतरण।माल की बिक्री अधिनियम**, 1930** के तहत बिक्री अनुबंध का अर्थ है एक अनुबंध जिसके तहत विक्रेता माल में संपत्ति को खरीदार को एक कीमत पर हस्तांतरित करने या हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है।इस मामले में लेन**-**देन चबाने वाले तंबाकू की बिक्री थी।**[**पैरा **12] [931-**सी**]**

जी.

एच.

925 ए.

926 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 6 एस. सी. आर.

2.1 अधिनियम के तहत**,** उत्पाद शुल्क माल को हटाने पर उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है। माल की बिक्री के मामले में जहां कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है**,** लेनदेन मूल्य पर शुल्क लगाया जाता है।स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क में अतिरिक्त विचार**,** यदि कोई हो**,** भी शामिल है।**"**लेन**-**देन मूल्य **"**को अधिनियम की धारा **4 (3) (**डी**)** में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है**"** माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत**,** जब बेचा जाता है**,** और इसमें कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा**,** कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार बिक्री के कारण या उसके संबंध में निर्धारिती को या उसकी ओर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।**,** लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क**,** बिक्री कर और अन्य करों की राशि**,** यदि कोई हो**,** शामिल नहीं है**,** जो वास्तव में ऐसी वस्तुओं पर भुगतान या वास्तव में देय है।**[**पैरा **13] [931-**डी**; 932-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

2.2 वस्तुओं की बिक्री के मामले में**,** उत्पाद शुल्क लगाया जाता है जहां **'**लेन**-**देन मूल्य**'** पर बिक्री का एकमात्र प्रतिफल मूल्य होता है।`**'**लेन**-**देन मूल्य**'** का अर्थ है माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य और कोई भी अतिरिक्त राशि जो खरीदार धारा **4 (3) (**डी**)** द्वारा बिक्री के संबंध में निर्धारिती या उसकी ओर से किसी को भी देने के लिए उत्तरदायी है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन **(**मूल्य और उपयोग योग्य वस्तुओं का निर्धारण**),** नियम **2000** के नियम **6** में प्रावधान है कि बिक्री के मामले में**,** ऐसी वस्तुओं के मूल्य को लेन**-**देन मूल्य और खरीदार से निर्धारिती को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले किसी भी विचार के धन मूल्य की राशि माना जाएगा।इस प्रकार**,** **"**माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत**"** पर शुल्क लगाया जाता है**,** दूसरे शब्दों में**,** माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार के रूप में भुगतान की गई कीमत।बिक्री के लेन**-**देन में किसी राशि का भुगतान मूल्य के रूप में किया गया है या नहीं**,** यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण केवल यह है कि क्या धन का भुगतान माल के लिए

प्रतिफल के रूप में किया गया था या माल की बिक्री के संबंध में भुगतान किए गए किसी अतिरिक्त प्रतिफल पर धन मूल्य।माल के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान नहीं की गई कोई भी राशि लेनदेन मूल्य बनाने के लिए नहीं जा सकती है।**[**पैरा **14] [932-**सी**-**डी**; 933-**ए**-**बी**]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

गार्नर का कानूनी उपयोग शब्दकोश**,** तीसरा संस्करण **-**

संदर्भित किया गया।

2.3 मूल्यवान विचार शब्द एक आर्थिक मूल्य वाले कार्य**,** सहनशीलता या वादे को संदर्भित करता है।तत्काल मामले में**,** यह स्पष्ट है कि केवल ए के वादे के लिए भुगतान किया गया पैसा

एच.

927

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम केंद्रीय आयोग के आयुक्त, नशिक ए.

वस्तुओं का हस्तांतरण उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमों द्वारा विचार किया गया मूल्यवान विचार था।लेन**-**देन मूल्य माल की बिक्री थी और प्रतिफल माल के लिए भुगतान की गई कीमत या मूल्य था।लेन**-**देन मूल्य को उसी के अनुसार समझा जाना चाहिए।इससे माल की बिक्री के लेन**-**देन के समय भुगतान की गई किसी भी अन्य राशि का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।इस प्रकार**,** यदि माल की कीमत के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिक्री लेनदेन के समय किसी राशि का भुगतान किया जाता है**,** तो यह लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह भी कि ऐसा भुगतान बिक्री के लेन**-**देन के लिए नहीं है यानी माल के कब्जे के हस्तांतरण के लिए नहीं है।इस तरह के लेनदेन के साथ किए गए किसी भी भुगतान को माल के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता है।**[**पैरा **14] [933-**सी**-**ई**]3.** धर्मशाला भारत में एक दान या दान के उद्देश्य से की गई भेंट के रूप में जानी जाती है जो एक वाणिज्यिक लेनदेन से अलग है।तत्काल मामले के तथ्यों से पता चलता है कि धर्मदा के लिए प्राप्तियां स्वैच्छिक थीं**,** जो दान के लिए निर्धारित की गई थीं और वास्तव में इस रूप में जमा की गई थीं।यद्यपि धर्मदा के रूप में भुगतान स्वैच्छिक पाया गया है**,** लेकिन इससे प्राप्तियों के वास्तविक चरित्र और प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा**,** भले ही अनिवार्य रूप से भुगतान किया गया हो क्योंकि खरीदार ने अपनी इच्छा से सामान खरीदा था।माल की खरीद अवसर है और ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए धर्मदा के लिए विचार नहीं है।**[**पारस **15,18] [933-**एफ**; 935-**सी**-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

आयकर आयुक्त (मध्य) दिल्ली, नई दिल्ली बनाम बिजली कॉटन मिल्स (पी) लिमिटेड हाथरस, जिला अलीगढ़

(1979) 1 एससीसी **496:[1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 241-**निर्भर।

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर,

एफ.

जमशेदपुर 2002 (146) ई. एल. टी. 3 (एस. सी.)-लागू नहीं

कलेक्टर बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स **2003 (158)**

ई**.** एल**.** टी**. 550 (**एस**.** सी**.)-**अच्छा कानून नहीं

ठाकुर दास श्याम सुंदर बनाम अतिरिक्त सी**.** आई**.** टी**. 93** आई**.** टी**.** आर**. 27;** सी**.** आई**.** टी**.,** पश्चिम बंगाल**,** कलकत्ता बनाम टॉलीगंज क्लब लिमिटेड

जी.

कलकत्ता (1977) 2 एससीसी 790:[1977] 3 एस. सी. आर. 225-संदर्भित

प्रोफेसर विल्सन की शब्दावली और मोल्सवर्थ की शब्दावली

शब्दकोश; न्यायशास्त्र बारहवें संस्करण पर सैल्मंड पी।15 – संदर्भित किया गया।

एच.

संदर्भित निर्णय

2003 (158) ई**.** एल**.** टी**. 550 (**एस**.** सी**.)** अच्छा कानून नहीं पैरा **5 2002 (146)** ई**.** एल**.** टी**. 3 (**एस**.** सी**.)** लागू नहीं होने योग्य पैरा **6 [1979] 2** एस**.** सी**.** आर**. 241** पर भरोसा किया गया

पैरा **7**

बी.

93 आईटीआर **27**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[1977] 3 एससीआर **225**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.5282

सी.

2005

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और आदेश No.A/167/WZB/2005/C-1 दिनांक 06.01.2005 से, अपील No.E/2437/2003 के. राधाकृष्णन, एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्तागण में मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ।, आलोक यादव, K.Ajit सिंह, प्रवीण कुमार, सुश्री निशा बागची, सुश्री अरुणा गुप्ता, बी. कृष्ण प्रसाद, यू. ए. राणा, हिमांशु मेहता (मेसर्स गगरत एंड कंपनी के लिए), अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. ए. बोबडे, जे. 1.अपीलार्थी-निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की अनुसूची के अध्याय 24 के तहत आने वाली वस्तुओं का निर्माण करता है।सामान बेचते समय, अपीलकर्ता-निर्धारिती ने ग्राहकों से सामान की कीमत के साथ-साथ धर्मदा, एक धर्मार्थ दान के लिए चालान लिया।अपीलार्थी के अनुसार, धर्मदा का भुगतान ग्राहकों द्वारा स्वेच्छा से किया गया था और यह दान के लिए था।तदनुसार इसका श्रेय दान को दिया जाता था।

ई.

एफ.

2. हालांकि, अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नासिक ने कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए और धर्मदा के संबंध में शुल्क की मांग की, यह दावा करते हुए कि यह निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए मूल्य का हिस्सा था और इसे आकलन योग्य मूल्य की गणना के लिए शामिल किया गया था।

जी.

3. प्रारंभ में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि धर्मदा घटक व्यापारिक प्राप्तियों का हिस्सा नहीं था और इसे आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता था और उत्पाद शुल्क और जुर्माने की मांग को हटा दिया।

एच.

929

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम सेंट्रल एक्साइज के आयुक्त, नासिक [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

ए.

4. हालाँकि, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा अधिनियम की धारा 4 के तहत एक और कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी से कारण दिखाने के लिए कहा गया था कि धारा 173 क्यू के तहत जुर्माना और धारा 11 एए के तहत ब्याज क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।अपीलार्थी को सुनने के बाद, उपायुक्त ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से कहा कि धर्मदा को व्यापारिक प्राप्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह आकलन योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है।इसलिए, धर्मदा के घटक पर कोई शुल्क देय नहीं था।

बी.

5. इसके बाद, राजस्व द्वारा दायर एक अपील में, आयुक्त (अपील) ने हालांकि कहा कि धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य के एक हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए माल का मूल्यांकन उनकी कीमत और धर्मदा के आधार पर किया जाना चाहिए।

सी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (संक्षेप में "सी. ई. एस. टी. ए. टी".) ने अपीलार्थी द्वारा दायर एक अपील में, दिनांक 1 के निर्णय द्वारा आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी और कहा कि शुल्क राशि की पुनः गणना की जानी चाहिए।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने हालांकि अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि धर्मदा लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं था।सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने कलेक्टर बनाम पंचमुखी इंजीनियरिंग वर्क्स 1 में इस न्यायालय के फैसले का पालन करने का इरादा किया, जिसके तहत इस न्यायालय ने माना कि निर्धारिती द्वारा आरोपित धर्मदा को आकलन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।6. इस न्यायालय की एक खंड पीठ के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि पंचमुखी (उपरोक्त) में निर्णय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के पहले के निर्णय का अनुसरण करता है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, जमशेदपुर 2 जो वर्तमान मामले पर बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ।टाटा आयरन एंड स्टील मामला एक ऐसा मामला था जिसमें इस्पात संयंत्रों ने लौह और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के तहत एक समिति के कहने पर पूर्व-कार्य मूल्य में अधिभार जोड़ा था।केंद्र सरकार द्वारा समिति

को सौंपी गई योजनाओं को लागू करने के लिए इस्पात विकास कोष के लिए धन जुटाने के लिए इस अधिभार को जोड़ा गया था।अधिभार समिति के पास उसकी विभिन्न योजनाओं में उपयोग करने और समिति के कार्यों के निर्वहन के लिए किए गए खर्च के लिए गया।इस प्रकार, इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या अधिभार एक शुल्क है जो ग्राहकों द्वारा अनिवार्य रूप से देय था, इसे मूल्य का एक हिस्सा माना जा सकता है, अर्थात आकलन योग्य मूल्य।

डी.

ई.

एफ.

जी.

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिभार वैधानिक प्रावधानों के तहत समिति द्वारा निर्धारित मूल्य का एक हिस्सा था।अपीलार्थी का

1 2003 (158) ईएलटी 550 (एससी) 2 2002 (146) ईएलटी 3 (एससी)

एच.

तर्क यह था कि पंचमुखी (ऊपर) में निर्णय जो केवल टाटा आयरन एंड स्टील (ऊपर) में निर्णय का पालन करता है, इस प्रस्ताव के लिए कोई अधिकार नहीं था कि धर्मदा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान होने के कारण आकलन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।

7. इसके अलावा, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय ने आयकर आयुक्त (केंद्रीय) दिल्ली, नई दिल्ली बनाम बिजली कॉटन मिल्स (पी) लिमिटेड हाथरस, जिला अलीगढ़ 3 के मामले में स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्मदा के लिए प्राप्त और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए निर्धारित राशि निर्धारिती द्वारा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च करने के दायित्व के तहत प्राप्त राशि है।अतः इन प्राप्तियों को निर्धारिती की आय नहीं माना जा सकता है।

बी.

सी.

8. उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्न को इस बड़ी पीठ को भेजा हैः-

क्या अपीलार्थी द्वारा एकत्र किया गया धर्मदा, जो स्पष्ट रूप से खरीदार द्वारा किया गया एक वैकल्पिक भुगतान है, माल की बिक्री के लिए लेनदेन मूल्य का हिस्सा माना जा सकता है।

डी.

9. एक महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर शुरू में ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि हमारे सामने कोई विवाद नहीं है कि हालांकि बिक्री मूल्य के साथ भुगतान किया गया था, धर्मदा के लिए भुगतान खरीदारों द्वारा स्वेच्छा से किया गया था और रसीद पर दान को सौंप दिया गया था।इसमें कोई चुनौती नहीं है कि यह वास्तव में स्वैच्छिक नहीं है।चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अभिलेख पर प्रमाण पत्र हैं जो दर्शाते हैं कि धर्मदा संग्रह को एक अलग खाते में जमा किया गया था और कारण बताओ नोटिस की अवधि के दौरान एक ट्रस्ट को दान किया गया था।

ई.

10. निर्णय के लिए जो एकमात्र सवाल उठता है वह यह है कि क्या एक निर्माता द्वारा धर्मदा के रूप में शामिल की गई राशि और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए जमा की गई राशि निर्मित वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य में शामिल होने के लिए उत्तरदायी है; विक्रेता ने केवल खरीदार और दान के बीच माध्यम के रूप में काम किया है।

एफ.

11. लेन-देन की प्रकृति यानी क्या बेचा गया था, भुगतान की गई कीमत और आकलन योग्य मूल्य पर पहुंचने के उद्देश्य से लेनदेन मूल्य की जांच करना आवश्यक है।

जी.

3 (1979) 1 एससीसी 496 ए

एच.

931

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम सेंट्रल एक्साइज के आयुक्त, नासिक [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

क्या बेचा गया था

12 अपीलार्थी ने अपने ग्राहकों को चबाने वाले तंबाकू का निर्माण और बिक्री की।ग्राहक द्वारा इन वस्तुओं के लिए 'विचार' के रूप में एक मूल्य का भुगतान किया जाता था, अर्थात माल की संपत्ति का ग्राहकों को हस्तांतरण।यह इनवॉइस से स्पष्ट है।

बी.

आकलन योग्य मूल्य पर पहुँचने के उद्देश्य के लिए 'परिवर्तन मूल्य'

बिक्री और खरीद को धारा 2 (एच) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल के कब्जे का कोई हस्तांतरण।माल की बिक्री अधिनियम, 1930 के तहत बिक्री के अनुबंध का अर्थ है एक अनुबंध जिसके तहत विक्रेता धारा 4 4 के तहत एक कीमत पर खरीदार को माल में संपत्ति हस्तांतरित करने या हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है।इस मामले में लेन-देन चबाने वाले तंबाकू की बिक्री थी।

सी.

13. अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क माल को हटाने पर उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य है। माल की बिक्री के मामले में जहां कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार है, धारा 4 5 के अनुसार लेनदेन मूल्य पर शुल्क लगाया जाता है।अतिरिक्त विचार, यदि कोई हो,

डी.

4 वस्तुओं की बिक्री अधिनियम, 1930 की धारा 4

4. बिक्री और बेचने का समझौता।— (1) माल की बिक्री का अनुबंध एक अनुबंध है जिसके तहत विक्रेता माल में संपत्ति को खरीदार को एक कीमत पर हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है।एक हिस्से के मालिक और दूसरे के बीच बिक्री का अनुबंध हो सकता है।

ई.

(2) बिक्री का अनुबंध पूर्ण या सशर्त हो सकता है।

(3) जहां बिक्री के अनुबंध के तहत माल में संपत्ति को विक्रेता से खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है, तो अनुबंध को बिक्री कहा जाता है, लेकिन जहां माल में संपत्ति का हस्तांतरण भविष्य में होना है या उसके बाद किसी शर्त के अधीन है, तो अनुबंध को बेचने का समझौता कहा जाता है।

एफ.

(4) बेचने का समझौता तब बिक्री बन जाता है जब समय बीत जाता है या शर्तें पूरी हो जाती हैं जिसके अधीन माल में संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना है।

5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4

4. उत्पाद शुल्क वसूलने के उद्देश्यों के लिए उत्पाद शुल्क का मूल्यांकन।**-**

(1) जहां इस अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क के मूल्य के संदर्भ में किसी भी उत्पाद शुल्क पर प्रभार्य है, तो माल के प्रत्येक हटाने पर, ऐसा मूल्य होगा-(ए) ऐसे मामले में जहां निर्धारिती द्वारा माल बेचा जाता है, हटाने के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए, निर्धारिती और माल का खरीदार संबंधित नहीं हैं और कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल है, लेनदेन मूल्य होगा।

जी.

(ख) किसी अन्य मामले में, जिसमें वह मामला भी शामिल है जहां माल नहीं बेचा जाता है, मूल्य उस तरीके से निर्धारित किया जाता है जो निर्धारित किया जाए।

एच.

स्पष्टीकरण के माध्यम से ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क में शामिल।“लेन-देन मूल्य को अधिनियम की धारा 4 (3) (डी) के अनुसार परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, जब बेचा जाता है, और इसमें कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा, कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार बिक्री के कारण या उसके संबंध में निर्धारिती को या उसकी ओर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।, लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, शामिल नहीं है, जो वास्तव में ऐसी वस्तुओं पर भुगतान या वास्तव में देय है।

बी.

14. वस्तुओं की बिक्री के मामले में, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है जहां 'लेन-देन मूल्य' पर बिक्री का एकमात्र प्रतिफल मूल्य होता है।''लेन-देन मूल्य' का अर्थ है माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य और कोई भी अतिरिक्त राशि जो खरीदार धारा 4 (3) (डी) के तहत बिक्री के संबंध में निर्धारिती या उसकी ओर से किसी को भी देने के लिए उत्तरदायी है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (मूल्य और उपयोग योग्य वस्तुओं का निर्धारण), नियम 2000 6 के नियम 6 में प्रावधान है कि बिक्री के मामले में, ऐसी वस्तुओं के मूल्य को लेन-देन मूल्य और प्रत्यक्ष रूप से या उसके बाद आने वाले किसी भी विचार के धन मूल्य की राशि माना जाएगा।

सी.

डी.

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा बेचे गए उत्पाद शुल्क का मूल्य-सह-शुल्क, बेचे गए माल के लिए उसे वास्तव में भुगतान की गई कीमत और ऐसी वस्तुओं की बिक्री के संबंध में खरीदार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती को प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त प्रतिफल का धन मूल्य, यदि कोई हो, होगा और बिक्री कर और अन्य करों को छोड़कर, यदि कोई हो, तो वास्तव में भुगतान किए गए मूल्य-सह-शुल्क में ऐसी वस्तुओं पर देय शुल्क शामिल माना जाएगा।

ई.

(2) .....

(3) (ए)।

(बी)।

(सी)।

(घ) "लेन-देन मूल्य" से माल के लिए, जब बेचा जाता है, वास्तव में भुगतान या देय मूल्य अभिप्रेत है और इसमें मूल्य के रूप में प्रभारित राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि शामिल है जो खरीदार निर्धारिती को या उसकी ओर से, बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में, चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो, जिसमें संगठन के खर्चों, भंडारण, बाहरी संचालन, सेवा, वारंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले में विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री के लिए प्रभारित या प्रावधान करने के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; लेकिन इसमें उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों की राशि, यदि कोई हो, वास्तव में भुगतान या वास्तव में देय, शामिल नहीं है।

एफ.

जी.

6 नियम 6-जहां अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में उत्पाद शुल्क माल बेचा जाता है, उस परिस्थिति को छोड़कर जहां कीमत बिक्री के लिए एकमात्र प्रतिफल नहीं है, ऐसे माल का मूल्य ऐसे लेनदेन मूल्य का कुल और खरीदार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारिती को बहने वाले किसी भी अतिरिक्त प्रतिफल की मुद्रा मूल्य की राशि मानी जाएगी।

एच.

933

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम सेंट्रल एक्साइज के आयुक्त, नासिक [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

ए.

अप्रत्यक्ष रूप से खरीदार से निर्धारिती तक।इस प्रकार, "माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत" पर शुल्क लगाया जाता है, दूसरे शब्दों में, माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार के रूप में भुगतान की गई कीमत।बिक्री के लेन-देन में किसी राशि का भुगतान मूल्य के रूप में किया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण केवल यह है कि क्या धन का भुगतान माल के लिए प्रतिफल के रूप में किया गया था या माल की बिक्री के संबंध में भुगतान किए गए किसी अतिरिक्त प्रतिफल पर धन मूल्य।माल के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान नहीं की गई कोई भी राशि लेनदेन मूल्य बनाने के लिए नहीं जा सकती है।

बी.

'गार्नर डिक्शनरी ऑफ लीगल यूसेज के तीसरे संस्करण में 'कंसीडरेशन' का अर्थ है:'वह कार्य, सहनशीलता या वादा जिसके द्वारा अनुबंध का एक पक्ष दूसरे का वादा निभाता है।मूल्यवान विचार शब्द एक आर्थिक मूल्य वाले कार्य, सहनशीलता या वादे को संदर्भित करता है।इस मामले में, यह स्पष्ट है कि केवल माल के हस्तांतरण के वादे के लिए भुगतान किया गया धन ही उत्पाद शुल्क अधिनियम और नियमों द्वारा विचार किया गया मूल्यवान विचार था।लेन-देन मूल्य माल की बिक्री थी और प्रतिफल माल के लिए भुगतान की गई कीमत या मूल्य था।लेन-देन मूल्य को उसी के अनुसार समझा जाना चाहिए।

सी.

डी.

इससे माल की बिक्री के लेन-देन के समय भुगतान की गई किसी भी अन्य राशि का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।इस प्रकार, यदि माल की कीमत के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिक्री लेनदेन के समय किसी राशि का भुगतान किया जाता है, तो यह लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह भी कि ऐसा भुगतान बिक्री के लेन-देन के लिए नहीं है यानी माल के कब्जे के हस्तांतरण के लिए नहीं है।इस तरह के लेनदेन के साथ किए गए किसी भी भुगतान को माल के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ई.

धर्मदा

एफ.

15. यह हमें वस्तुओं के बिक्री मूल्य के साथ दिए जाने पर "धर्मदा" की प्रकृति की ओर ले जाता है।धर्मदा भारत में एक दान या दान के उद्देश्य से की गई भेंट के रूप में जानी जाती है जो एक वाणिज्यिक लेनदेन से अलग है।इस न्यायालय ने बिजली कॉटन मिल्स (ऊपर) में धर्मदा की प्रकृति और चरित्र पर विचार किया।यह मामला आयकर अधिनियम के तहत सामने आया था। निर्धारिती सूत और कपास की गांठों की बिक्री पर अपने ग्राहकों से धर्मदा के लिए कुछ राशि वसूल करता था।दर दस पाउंड धागे के प्रति बंडल एक आना और कपास की प्रति गांठ दो आना थी।धर्मदा की रसीदें व्यापारिक खाते में जमा नहीं की जाती थीं, लेकिन निर्धारिती एक अलग खाता रखता था जिसे धर्मदा खाते के रूप में जाना जाता था।के तहत अधिकारियों

जी.

एच.

अधिनियम में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती द्वारा रखी गई राशियों को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए न्यास के तहत रखा गया नहीं माना जा सकता है।

16. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि धर्मदा के रूप में भुगतान की गई विवादित राशि कभी भी निर्धारिती की आय नहीं थी और निर्धारिती केवल दान के उद्देश्यों के लिए राशि को पारित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा था।इन राशियों को कभी भी व्यापारिक प्राप्तियों या बिक्री मूल्य पर अधिभार के रूप में नहीं माना जाता था जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि

ऐसी प्राप्तियां कभी भी व्यापारिक खाते में जमा नहीं की जाती थीं और न ही किसी भी वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में दिखाई जाती थीं।

बी.

इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से विचार किया और प्रोफेसर विल्सन के शब्दावली और मोल्सवर्थ के शब्दकोश का उल्लेख करने के बाद कहा कि धर्मदा का अर्थ है "दान या दान में उपहार"।इस न्यायालय ने कहा कि हालांकि कानून के मामले में कुछ अस्पष्टता हो सकती है, धर्म शब्द में, धर्मदा या धर्मदय के संबंध में कुछ भी नहीं है और इस तरह का भुगतान अस्पष्टता या अनिश्चितता के लिए अमान्य नहीं होगा।इस न्यायालय ने ठाकुर दास श्याम सुंदर बनाम अतिरिक्त सी. आई. टी. 7 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया और कहा कि "यह विवादित नहीं हो सकता कि देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक या वाणिज्यिक समुदाय के बीच, धर्मदा के लिए एक उपहार या भुगतान को हमेशा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक उपहार के रूप में माना जाता है।"इस न्यायालय ने कहा कि प्रश्न का उत्तर ग्राहक द्वारा बनाए गए दायित्व की प्रकृति पर निर्भर करता है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को मंजूरी दी कि केवल इसलिए कि न्यास निधि पर न्यास के कानूनी स्वामित्व से संबंधित कानून के तहत और हमेशा न्यासियों को नियंत्रित करने और निपटाने की शक्ति न्यासियों में निहित है, न्यासियों को दान पर राशि खर्च करने का विवेकाधिकार जमा के चरित्र को प्रभावित नहीं करेगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

17. इस न्यायालय ने सी. आई. टी., पश्चिम बंगाल, कलकत्ता बनाम टॉलीगंज क्लब लिमिटेड, कलकत्ता 8 पर भी भरोसा किया।उस मामले में, न्यायालय ने दौड़ के समय क्लब के बाड़े में प्रवेश शुल्क के अलावा आठ आना के अधिभार की प्रकृति पर विचार किया।इस अधिभार की आय रेड क्रॉस फंड और अन्य स्थानीय दान में जानी थी।इस न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को मंजूरी दी और कहा कि "अधिभार प्रवेश के लिए कीमत का हिस्सा नहीं था, बल्कि स्थानीय दान में लागू होने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया था।"यह देखा गया कि "

जी.

7 93 आईटीआर 27

8 (1977) 2 एससीसी 790:(1977) 107 आईटीआर 776 ए

एच.

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम सेंट्रल एक्साइज के आयुक्त, नासिक [एस. ए. बोबडे, जे.] ए.

घेराव में प्रवेश अवसर है न कि दौड़ में जाने वाले से लिए गए अधिभार पर।इसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भुगतान अनैच्छिक था, यह देखते हुए कि "यह अधिभार के भुगतान को अनैच्छिक नहीं बनाता है, क्योंकि यह उसकी अपनी इच्छा से है कि वह बाड़े में प्रवेश चाहता है।"

अपने समक्ष मामले में उपरोक्त निर्णयों को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने बिजली कॉटन मिल्स (उपरोक्त) में कहा कि धर्मदा राशि को ग्राहकों द्वारा अनैच्छिक रूप से भुगतान नहीं कहा जा सकता है और किसी भी मामले में भुगतान की अनिवार्य प्रकृति, यदि कोई हो, तो प्राप्तियों को व्यापारिक प्राप्तियों के रूप में प्रभावित नहीं कर सकती है।

बी.

18. हम अपने समक्ष मामले के तथ्यों से पाते हैं कि धर्मदा की रसीदें स्वैच्छिक थीं, दान के लिए निर्धारित की गई थीं और वास्तव में इस रूप में जमा की गई थीं।यद्यपि धर्मदा के रूप में भुगतान स्वैच्छिक पाया गया है, लेकिन इससे प्राप्तियों के वास्तविक चरित्र और प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही अनिवार्य रूप से भुगतान किया गया हो क्योंकि खरीदार ने अपनी इच्छा से सामान खरीदा था।माल की खरीद अवसर है और पैरा 15 के अनुसार बिजली कॉटन मिल्स (ऊपर) में आयोजित ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए धर्मदा के लिए विचार नहीं हैः-

सी.

डी.

“15. ..... यह सच है कि "धर्मदा" राशि के भुगतान के बिना ग्राहक निर्धारिती से सामान खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन वह "धर्मदा" राशि का भुगतान अनैच्छिक रूप से नहीं करेगा क्योंकि यह उसकी अपनी इच्छा से है कि वह निर्धारिती से सूत और कपास खरीदता है।"धर्मदा" राशि, इसलिए, स्पष्ट रूप से कीमत का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि धर्मार्थ उद्देश्यों पर खर्च किए जाने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक भुगतान है।.....”

ई.

एफ.

19. इस मामले में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने निर्धारिती द्वारा पंचमुखी (ऊपर) पर प्रसारण के खिलाफ निर्णय लिया।पंचमुखी (ऊपर) के मामले का फैसला स्पष्ट रूप से तथ्यों और कानून पर चर्चा के बाद नहीं किया गया था, बल्कि इसलिए किया गया था क्योंकि राजस्व के वकील ने कहा था कि मामला टाटा आयरन एंड स्टील (ऊपर) में निर्णय के दायरे में आता है और निर्धारिती के

वकील "इस कानूनी स्थिति पर विवाद करने की स्थिति में नहीं थे"।पंचमुखी (ऊपर) में निर्णय का बहुत कम पूर्ववर्ती मूल्य है।बात यह है कि क्या धर्मदा पंचमुखी (ऊपर) में शामिल था और अधिभार टाटा में कीमत के रूप में रखा गया था

जी.

एच.

लोहा और इस्पात (उपरोक्त) समान थे और पारित लेन-देन मूल्य में शामिल किए जाने के लिए उत्तरदायी थे।न्यायशास्त्र बारहवें संस्करण पर सैल्मंड पी।15 एच में कहा गया है कि लिया गया निर्णय बाध्यकारी नहीं है क्योंकि इसका निर्णय "बिना तर्क के, नियम के महत्वपूर्ण शब्दों के संदर्भ के बिना और प्राधिकरण के किसी भी उद्धरण के बिना" किया गया था, इसलिए इसका पालन नहीं किया जाएगा।लेखक का यह भी कहना है कि पूर्ववर्ती उप-मौन और बिना तर्क के कोई क्षण नहीं है।पंचमुखी (ऊपर) में निर्णय को एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं मानने के लिए यह पर्याप्त कारण है।

बी.

इसलिए, टाटा आयरन एंड स्टील (उपरोक्त) पर एक नज़र डालना आवश्यक है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें ग्राहक ने इस्पात की कीमत पर अधिभार का भुगतान किया था।केंद्र सरकार द्वारा समिति को सौंपी गई योजनाओं को लागू करने के लिए इस्पात विकास कोष के लिए धन जुटाने के लिए इस अधिभार को जोड़ा गया था।अधिभार समिति के पास उसकी विभिन्न योजनाओं में उपयोग के लिए और समिति के कार्य के निर्वहन के लिए किए गए खर्च के लिए गया।

सी.

20. फिर भी, अधिभार इस्पात की कीमत के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए विचार का हिस्सा था।जिन अधिसूचनाओं के तहत अधिभार जोड़ा गया था, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है:-

डी.

(i) "समिति निर्धारित पूर्व-कार्य मूल्यों में एक तत्व जोड़ सकती है।"

और

ई.

((ii) "समिति के सदस्यों को इस्पात संयंत्रों को अपने पूर्व-कार्यों में नीचे सूचीबद्ध तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।"

इस जोड़ का उद्देश्य आधुनिकीकरण, अनुसंधान और विकास, विविधीकरण आदि के लिए एक इस्पात विकास कोष का गठन करना था ताकि प्रौद्योगिकी की मात्रा और लोहे और इस्पात के उत्पादन की दक्षता और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

एफ.

21. कोष के अन्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समिति को सौंपी गई विशिष्ट योजनाओं और इंजीनियरिंग वस्तु निर्यात सहायता कोष को लागू करना था।इस न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या यह जोड़ धारा 4 (ii) के अर्थ के भीतर "अन्य कर" शब्द के अर्थ के अंतर्गत आएगा, जिसमें ऐसी वस्तुओं पर देय अन्य करों की राशि को मूल्य से बाहर रखा गया है। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि वे कानून द्वारा ए के अधिकार के बिना कीमत के ऊपर और ऊपर इस शुल्क को एकत्र करने के लिए मजबूर थे।

जी.

एच.

937

मेसर्स डी. जे. मालपानी बनाम सेंट्रल एक्साइज के आयुक्त, नासिक [एस. ए. बोबडे, जे.]

इसे अपने लिए और किसी तीसरे पक्ष को सौंपने के कर्तव्य के साथ लागू करें और इसलिए शुल्क को माल की बिक्री मूल्य के विचार का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि शुल्क स्पष्ट रूप से मूल्य के एक तत्व के रूप में जोड़े गए थे और कहा, "इस प्रकार जो जोड़ा जा रहा था वह मूल्य में था।"एक अन्य पहलू जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि इन राशियों के अंतिम लाभार्थी स्वयं इस्पात संयंत्र हैं।

बी.

22. हम पाते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील (उपरोक्त) में निर्णय हमारे सामने मामले की परिस्थितियों के पूरी तरह से विपरीत है।टाटा आयरन एंड स्टील (ऊपर) और पंचमुखी (ऊपर) पर रखी गई निर्भरता, जो कि धर्मदा का मामला था, गलत है।पंचमुखी (ऊपर) को अच्छा कानून नहीं कहा जा सकता है।

सी.

23. इन परिस्थितियों में हमारा मानना है कि जब किसी राशि का भुगतान माल के बिक्री मूल्य के साथ धर्मदा के रूप में किया जाता है, तो ऐसा भुगतान माल के हस्तांतरण के विचार में नहीं किया जाता है।इस तरह का भुगतान दान के लिए होता है और विक्रेता द्वारा प्राप्त किया जाता है और विश्वास में रखा जाता है।यदि ऐसी राशि दान में जमा की जानी है और निर्धारिती की आय का हिस्सा नहीं है तो उन्हें लेनदेन मूल्य या माल के आकलन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता है।

डी.

24. इस प्रकार, खंड पीठ द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हैः-

ई.

“अपीलार्थी द्वारा एकत्रित धर्मदा, जो स्पष्ट रूप से खरीदार द्वारा किया गया एक वैकल्पिक भुगतान है, को माल की बिक्री के लिए लेन-देन मूल्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता है।”

25. सी. ई. एस. टी. ए. टी. के निर्णय को तदनुसार अपास्त करना दिया जाता है।अपील की अनुमति है।

एफ.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

जी.

एच.